कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, जिला–दुर्ग
छत्तीसगढ़–490024 ई–मेल : ccmgmchdurg@gmail.com

क्रमांक / रखरखाव / CCMGMCH / DRG / 2026 / 931 दुर्ग,दिनांक : 19/6/26

II रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of interest) सूचना II

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, कचान्दुर, दुर्ग (छ.ग) के विभिन्न वार्डो / विभागों में स्थापित 1.5 टन ए.सी. के मरम्मत कार्य मे लगने वाले आवश्यक सामग्रीयों के क्रय हेतु रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से निविदा आमंत्रित किया जाता है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	सामग्री का नाम	साईज	दर प्रति नग	कर विवरण	कर सहित कुल राशि
1	AC Gas Pipe	1/4 inch			
2	AC Gas Pipe	1/2 inch			
3	AC Gas Pipe	5/8 inch			
4	Dumi Nut	1/4 Inch			
5	Dumi Nut	1/2 inch			
6	Sleev	1/4 ichc			
7	Sleev	1/2 inch			
8	Sleev	5/8 inch			
9	Flering Nut	1/4 inch			
10	Flering Nut	1/2 inch			
11	P.C.B.	1.5 ton			
12	Compressor	1.5 ton			
13	Condensor Coil Copper				
14	Dran Pipe				
15	Outdoor Stand				
16	Outdoor Fasterers				
17	Cable	2.5 mm (3 core)			
18	Capaciror	45 mfd			
19	Fan Motar	1.5 ton			
20	Fan Motar Capacitor	3.15 mfd			
21	R-22 Gas				
22	Profling Gas				
23	Brizing Rod				
24	AC Dismantle				
25	AC Fitting				
26	AC Repairing				
27	Fan Bled				
28	Compressor Lead				
29	Reparing Charge				
30	Shifting Charge				

अतः उपरोक्तानुसार प्रारूप में निविदाकर्ता फर्म निविदा (Quotation) मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 10 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा कर सकते है। विलंब से प्राप्त निविदा (Quotation) मान्य नही की जावेगी।

रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) प्रस्तुत करने नियम एवं शर्तें :–

1. **कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करे। दर अंको एवं शब्दों दोनों में अकित की जानी चाहिए।**

2. कृपया जी.एस.टी. पजीकरण विवरण प्रस्तुत करें साथ ही फर्म का वेंडर डिटेल्स संलग्न करें।
3. किसी भी फर्म की कोई भी शर्तें मान्य नही होगी।
4. सामग्रीयों को चिकित्सालय में पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
5. आदेश जारी होने के पश्चात् 07 दिवस के भीतर ही सामग्रीयाँ प्रदाय किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आदेश निरस्त किया जा सकता है।
6. लिफाफे के उपर कोटेशन नं. एवं विषय का नाम अंकित होना चाहिए।
7. प्रस्तुत किये गये कोटेशन दर एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
8. राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नही होगी। उक्त संबंध में उन्हे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. सामग्री अत्यधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता का होना चाहिए।
10. उक्त सामग्री गुणवत्ता विहिन पाये जाने पर वापस किये जाने के पूर्ण अधिकार संस्था होगा। अनुमानित संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
11. दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिये क्रय समिति बाध्य नहीं होगा।
12. सामग्री का प्रदाय MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक मूल्य पर प्रदाय नहीं किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार EOI कोटेशन/प्रस्ताव दर मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 10 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा कर सकते है। विलंब से प्राप्त EOI कोटेशन/प्रस्ताव मान्य नही की जावेगी।

Digitally signed by
Kuldip Singh Sangha
Date: 19-06-2026
14:47:34

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
सम्बद्ध चिकित्सालय दुर्ग (छ.ग.)